2021 का विधेयक संख्यांक 62.

[दि इलेक्शन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अध्याय 2

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का संशोधन

धारा 14 का संशोधन ।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् 1950 का अधिनियम कहा गया है, की धारा 14 के खंड (ख) में "1 जनवरी" अंक और शब्द के स्थान पर, "1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर" शब्द और अंक रखे जाएंगे । 1950 का 43

धारा 20 का संशोधन ।

3. 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (6) में,—

(i) "पत्नी" शब्द के स्थान पर, "पति या पत्नी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "करती हो, तो ऐसी पत्नी" शब्द के स्थान पर, "करती हो, तो ऐसे पति या पत्नी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन ।

4. 1950 के अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दी गई विशिष्ट आधार पहचान संख्या प्रस्तुत करे : 2016 का 18

परंतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों या उसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार निर्वाचक नामावली में उसी व्यक्ति के नाम के रजिस्ट्रीकरण की पहचान करने के लिए निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित व्यक्तियों की आधार संख्या की अपेक्षा भी कर सकेगा ।

(5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया गया है, ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित तारीख को या उससे पूर्व अपनी आधार संख्या संसूचित कर सकेगा ।

(6) निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए किसी आवेदन से इंकार नहीं किया जाएगा और निर्वाचक नामावली में किन्हीं प्रविष्टियों का किसी व्यष्टि द्वारा ऐसे पर्याप्त कारण से, जो विहित किया जाए, आधार संख्या प्रस्तुत करने या संसूचित करने में असमर्थता के कारण लोप नहीं किया जाएगा :

परंतु ऐसे व्यष्टि को ऐसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज, जो विहित किए जाएं, प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "आधार संख्या" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में है ।"। 2016 का 18

धारा 28 का संशोधन ।

5. 1950 के अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (जजज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(जजजक) धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन आधार संख्या से संसूचित

करने का प्राधिकार, प्ररूप और रीति ;

(जजजख) धारा 23 की उपधारा (6) के अधीन व्यष्टि द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वैकल्पिक दस्तावेजों का पर्याप्त कारण ।"।

अध्याय 3

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन

1951 का 43

धारा 60 का संशोधन ।

6. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में 1951 के अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 60 के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, दोनों स्थानों पर आने वाले "पत्नी" शब्द के स्थान पर, "पति या पत्नी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 160 का संशोधन ।

7. 1951 के अधिनियम की धारा 160 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) किन्हीं परिसरों की मतदान केन्द्रों के रूप में, मतगणना करने, मतदान पेटियों, वोटिंग मशीनों (वोटर वेरीफिएवल पेपर आडिट ट्रेल सहित) के भंडारण और मतदान हो जाने के पश्चात् मतदान संबंधी सामग्री, सुरक्षा बलों और मतदान कार्मिकों के लिए आवास के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है ; या" ;

(ii) परंतुक में, "परंतु" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसे परिसरों की धारा 30 के अधीन उसके खंड (ङ) के अधीन अधिसूचित तारीख तक ऐसे निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के पश्चात् अध्यपेक्षा की जाएगी :

परंतु यह और कि";

उद्देश्यों और कारणों का कथन

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, अन्य बातों के साथ, लोक सभा और राज्यों के विधान-मंडलों में स्थानों के आंबटन और उनके लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन, ऐसे निर्वाचनों से मतदाताओं की अर्हताओं, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, आदि का उपबंध करता है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, अन्य बातों के साथ संसद् के सदनों और हर एक राज्य के विधान-मंडल के सदनों के लिए निर्वाचनों के संचालन के लिए, उन सदनों की सदस्यता के लिए अर्हताओं और निरर्हताओं के लिए ऐसे निर्वाचनों में या उनसे संसक्त भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों, आदि का उपबंध करता है ।

2. निर्वाचन सुधार एक निरन्तर और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचन सुधार हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर रही है, जिनके अन्तर्गत भारत का निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयोग) भी है । निर्वाचन आयोग के प्रस्तावों के आधार पर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है । तद्नुसार, एक विधेयक अर्थात् निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 प्रस्तावित किया गया है, जो निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है—

(i) एक ही व्यक्ति के विभिन्न स्थानों पर बहु-नामांकन की बुराई को नियंत्रित करने के लिए आधार प्रणाली के साथ निर्वाचक नामावली डाटा को सहबद्ध करने हेतु समर्थ बनाने के लिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 का संशोधन ;

(ii) निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने या उनका पुनरीक्षण करने के संबंध में अर्हक तारीखों के रूप में किसी कलेंडर वर्ष के 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर को विनिर्दिष्ट करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 के खंड (ख) का संशोधन ;

(iii) कानूनों को लिंग निरपेक्ष बनाने के लिए, "पत्नी" शब्द को "पति या पत्नी" शब्दों से प्रतिस्थापित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 का संशोधन ;

(iv) उन परिसरों की अध्यपेक्षा को समर्थ बनाने के लिए जो मतदान केन्द्र के रूप में प्रयोग होने के प्रयोजन हेतु, मतदान होने के पश्चात् गणना के लिए, मतपेटियों, वोटिंग मशीनों (वोटर वेरीफिएवल पेपर आडिट ट्रेल सहित), मतदान संबंधी सामग्री के भंडारण के लिए, ऐसी अवधि के लिए जो उक्त अधिनियम की धारा 30 के अधीन अधिसूचित की जाए, आवश्यक हैं या उनकी आवश्यकता की संभावना है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 का संशोधन ।

3 विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
15 दिसम्बर, 2021

किरेन रीजीजू

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, यदि अधिनियमित और प्रचालित किया जाए तो इसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति के किसी व्यय के अन्तर्वलित होने की संभावना नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 5 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 का संशोधन करने के लिए जो केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है । वे विषय जिन पर नियम बनाए जा सकेंगे, अन्य बातों के साथ,--(क) धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन आधार संख्या की सूचना का प्राधिकार, प्ररूप और रीति ; (ख) धारा 23 की उपधारा (6) के अधीन पर्याप्त हेतुक तथा व्यष्टिक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वैकल्पिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, से संबंधित हैं ।

2. अधिनियम की धारा 28 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथा संभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे ।

3. वे विषय जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरों के विषय है और उनके लिए स्वयं विधेयक में उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम संख्यांक 43) से उद्धरण

* * * * *

भाग 3

निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां

परिभाषाएं ।

14. इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ख) "अर्हता की तारीख" से इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में उस वर्ष की जनवरी का पहला दिन अभिप्रेत है जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है :

परन्तु वर्ष 1989 में इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में,"अर्हता की तारीख" 1989 की अप्रैल का पहला दिन होगी ।

* * * * *

मामूली तौर से निवासी का अर्थ ।

20. (1) * * * *

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी, जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

28. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किन्हीं के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * *

(जजज) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचक नामावलियों में नामों को सम्मिलित करने या काटने के लिए तथ्यों के समुचित सत्यापन की प्रक्रिया ;

* * * * *

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्यांक 43) से उद्धरण

* * * * *

कुछ वर्गों के व्यक्तियों द्वारा मत दिए जाने के लिए विशेष प्रक्रिया ।

60. धारा 59 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा,—

* * * * *

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी को निर्वाचन-क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, स्वयं या डाक-मतपत्र द्वारा, न कि किसी अन्य रीति में, अपना मत देने में, अर्थात् :—

(i) कोई ऐसा व्यक्ति, जो 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (8) के खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट है ;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसको 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं, पत्नी और जो पत्नी उस धारा की उपधारा (6) के निबंधनों के अनुसार उस व्यक्ति के साथ मामूली तौर पर निवास कर रही हो ;

* * * * *

परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अधिग्रहण ।

160. (1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि राज्य के भीतर होने वाले निर्वाचन के संबंध में—

(क) इस प्रयोजन के लिए कि उसका मतदान केन्द्र के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतपेटियों के रखने के लिए उपयोग किया जाए, किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है ; अथवा

(ख) किसी मतदान केन्द्र से या को मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिए या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी आफिसर या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी यान, जलयान या जीवजन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है,

तो वह सरकार ऐसे परिसर या, यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगी, और ऐसे अतिरिक्ति आदेश दे सकेगी जैसे कि अधिग्रहण के संबंध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या जीवजन्तु, जिसे अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिए विधिपूर्णतः उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिगृहीत न किया जाएगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाए ।

* * * * *